प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला– जयपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष–2022 प्र0इ0रि0 सं.** 232/2022 **दिनांक** 12/06/2022

2. (I) **अधिनियमः–** धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0

   (II) **अधिनियम .... धारायें**

   (III) **अधिनियम .... धारायें ....**

   (IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0..........................**

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 216 **समय** 5:00 pm

(ब) अपराध घटने का दिन–शनीवार दिनांक 11.06.2022 समय 07.30 पीएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. **सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित**

5. **घटनास्थलः–** मधू मेडिकल के पास शराब की दुकान नागाणा राय वाईन्स, फलोदी, जिला जोधपुर।

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब पश्चिम दिशा करीब 480 किमी

(ब) बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ....

6. **(i)परिवादी /सूचनाकर्ता :–**

(अ) नाम– श्री अभिमन्यु सिह

(ब) पिता/पति का नाम– श्री ईश्वर सिंह

(स) जन्म तिथी– उम्र–35 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि

जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय–प्राईवेट व्यवसाय।

(ल) पता– नि. ग्राम रावतनगर पीलवा पुलिस थाना लोहावट जिला जोधपुर।

6. **(ii)परिवादी /सूचनाकर्ता :–**

(अ) नाम– श्री महेन्द्र राठी

(ब) पिता/पति का नाम– श्री राजेश कुमार राठी

(स) जन्म तिथी– उम्र–33 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि

जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय–प्राईवेट व्यवसाय।

(ल)पता- नि. श्री बगतेश चौक पीलवा थाना लोहावट जिला जोधपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

1. श्री केशाराम पुत्र श्री जैनाराम, जाति जाट, उम्र 40 वर्ष निवासी पनल की बेरी तहसील व थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण।

2.श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, जाति राजपूत, उम्र 35 वर्ष निवासी पींलवा, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर। (प्राईवेट व्यक्ति)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-15,000/-रू0

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 8.06.2022 को परिवादी श्री अभिमन्यु सिह पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाति, राजपुत उम्र 35 वर्ष नि. ग्राम रावतनगर पीलवा पुलिस थाना लोहावट जिला जोधपुर ने ब्यूरो को एक लिखित शिकायत इस आशय की प्रेषित की कि "सेवामें श्री महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर (राज0) विषय -रिश्वत राशि नहीं देकर रंगेहाथ पाडवाने बाबत। महोदय जी, निवेदन है कि कल दिनांक 7.6.2022 को गांव पीलवा में मारपीट के झुठे मुकदमें में फसाया जा रहा है लेकिन थाना अधिकारी केशाराम बांता पुलिस थाना लोहावट जिला जोधपुर ग्रामीण ने एक लाख रूप्ये मांग रहे है अगर लाख रूपये नहीं दिया ते आपको जेल में डालुंगा इस तरह की धमकी दी जा रही है अत: श्रीमान जी आप से निवेदन है कि रिश्वत नहीं देना चाहते इनकों रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं कल दिनांक 7.6.2022 को भींयाराम पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी पीलवा ने एससी एसटी का मुकदमा अभिमन्यु सिंह (पिकसा) पुत्र ईश्वर सिंह जाति राजपुत के विरूद्व दर्ज करवाया गया है। महेन्द्र राठी मेरे व्यवसाय में साझेदार है आज दिनांक 8.6.2022 को इनके पास थाना लोहावट से दो कांस्टेबल आये तथा मेरे बारे में पुछा तथा कहा कि अभिमन्यु सिंह के खिलाफ एससी, एसटी का मामला थाने में दर्ज हुआ है हमको एसएचओ साहब ने भेजा है तथा कहा कि अभिमन्यु सिंह को इस केस में बचना है तो खर्चा पानी के उप में एक लाख रूपये देनें पडेगें नही तो अभिमन्यु सिंह को एससी एसटी के केस में उठाकर ले जायेगें मै पुलिसवालों के डर से उन के सामने नहीं जाना चाहता पुलिसवालें रिश्वत की बात मेरे व्यावसायिक साझेदार महेन्द्र राठी से ही करेगें में एसएचओ लोहावट तथा अन्य पुलिसवालों को रिश्वत नहीं देना चाहता में पुलिस वालो के डर के कारण आपके विभाग जयपुर में आकर कार्यवाही करने में असमर्थ हूं अत: आपके विभाग वालों को मेरे व्यावसायिक साझेदार महेन्द्र राठी के पास भेजकर अग्रिम कार्यवाही की कृपा करें। भवदीय अभिमन्यु सिंह - अभिमन्यु सिंह मो- 8094150007 महेन्द्र राठी एसडी 9829182500 एसडी महेन्द्र"। जिस पर दिनांक 9-6-2022 एवं 10-06-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट द्वारा परिवादी के विरूद्व दर्ज शिकायत को रफा दफा करने एवं राजीनामा करवाने की ऐवज मे 15000/- रूपये की रिश्वत मांग करते हुए रिश्वती राशि श्री रणवीर सिंह सैल्समैन को दिलवाना तय हुआ। उक्त वार्ताओ की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई।

दिनांक 10-6-2022 को समय 9.30 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक संजय कुमार मय ब्यूरो स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहनो एवं सामान सरकारी के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु जयपुर से रवाना होकर दिनांक 11-6-2022 को फलोदी होटल सिटी पोइन्ट पर पहूंचे जहां

पर परिवादी एवं ब्यूरो कर्मचारी श्री आलोक कुमार हैड कानि0 10 एवं श्री रमेश कुमार कानि0 406 मौजूद मिले। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडी तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 11-06-2022 को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अभिमन्यु सिह पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाति राजपुत उम्र 35 वर्ष नि. ग्राम रावतनगर पीलवा पुलिस थाना लोहावट जिला जोधपुर मो.नं. 8094150007 व सहपरिवादी श्री महेन्द्र राठी पुत्र श्री राजेश कुमार राठी उम्र 33 वर्ष जाति राठी नि. श्री बगतेश चौक पीलवा थाना लोहावट जिला जोधपुर मो.नं. 9829182500 उपस्थित कमरा नं. 103, होटल सिटी पोईंट, फलौदी, जोधपुर है जिनसे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री अभिमन्यु सिंह ने अपने पास से दो-दो हजार रूपये के 7 नोट एवं पांच पांच सौ रूपये के 2 नोट कुल 15,000/- रूपये प्रस्तुत किए है। परिवादी श्री अभिमन्यु सिंह ने बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ता के अनुसार उक्त रिश्वती राशि श्री केशाराम बांता उप निरीक्षक पुलिस संदिग्ध अधिकारी के बताए अनुसार रिश्वत का लेन देन रणवीर सिंह नि. पीलवा से होना है। उपरोक्त वर्णित नम्बरी नोट पर श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0 69 से उसके बैग मे रखी फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर फर्द सुपुर्दगी नोट फिनोलफ्थलीन पाउडर व सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 5.45 पीएम पर श्री नीरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस को उक्त कार्यवाही करने की समझाईस की जाकर श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0, श्री रमेश कुमार कानि0, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 मय वाहन आर0जे045 सीएन 8935 चालक इन्द्रपाल को श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट को डिटेन करने हेतु हिदायत मुनासिब कर पुलिस थाना लोहावट की और रवाना किया।

दिनांक 11-6-2022 को समय 6.40 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ब्यूरों स्टाफ एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन आर0जे014 यूसी 8799 मय सामान सरकारी के नागौर चौराहा फलौदी के लिये रवाना होकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 7.30 पीएम पर परिवादी श्री अभिमन्यु सिह पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाति राजपुत उम्र 35 वर्ष नि. ग्राम रावतनगर पीलवा पुलिस थाना लोहावट जिला जोधपुर के साथी श्री महेन्द्र राठी पुत्र श्री राजेश कुमार राठी उम्र 33 वर्ष जाति राठी नि. श्री बगतेश चौक पीलवा थाना लोहावट जिला जोधपुर ने मधु मेडिकल के पास शराब की दुकान जिस पर नागाणा राय वाईन्स लिखा हुआ है के बाहर आकर अपने गले मे लिपटा हुआ गमछा हटाकर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी के साथी श्री महेन्द्र राठी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आस पास खड़े हुए स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो स्टॉफ को ईशारा पास करते हुए मधू मेडिकल के पास बनी शराब की दुकान के पास पहूंचा जहां पर परिवादी खड़ा हुआ मिला। परिवादी से पूर्व मे सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी को साथ लेते हुए शराब की दुकान के अन्दर प्रवेश हुआ तो परिवादी ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही हमारे गांव का रणवीर सिंह शराब का सैल्समैन है जिनको मैने अभी-अभी कुछ समय पहले थानाधिकारी लोहावट श्री केशाराम के कहेनुसार रिश्वत के 15000/- रूपये इनको दिए थे जो इन्होने अपने हाथ मे लेकर गिनकर अपने पर्स में रख कर पर्स को अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की पीछे की जेब मे रख लिए थे। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रणवीर सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, जाति राजपूत, उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पीलवा, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर होना बताया। श्री रणवीर सिंह से परिवादी के साथी श्री महेन्द्र राठी से रिश्वत के लिए गए 15000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री रणवीर सिंह ने बताया कि अभिमन्यु सिंह व श्री महेन्द्र राठी जो मेरे गांव पीलवा के ही है। अभी थोड़ी देर पहले महेन्द्र राठी ने फोन किया था ओर मिलने के लिए कहा था मैने कहा कि मै मधु मेडिकल के पास दारू के ठेके के पास हूं आ जाओ महेन्द्र राठी व अभिमन्यु दारू

के ठेके मे अन्दर आये और महेन्द्र ने कहा कि हम बस से गांव जा रहे है यह पन्द्रह हजार रूपये रख लो किसी को देने है मेने पूछा कि किस को देना है तो महेन्द्र ने कहा कि मै बता दूंगा। मैने कहा कि मै भी गांव चल रहा हूं साथ चल चलेगे तो यह महेन्द्र भी बैठ गया। यह दारू कि दुकान मेरे मिलने वाले की दुकान है इसलिए अन्दर बैठ गये थे मेरे को महेन्द्र की दुकान से कुछ परचूनी का सामान लेना था इसलिए मैने कल भी इसको फोन किया था तो इसने कहा था कि मै फलोदी निकल गया इसलिए मैने सामान दुसरी जगह से लिया था आज पैसे देते समय महेन्द्र ने कहा था कि हमारा थाना लोहावट मे एसएसी/एसटी के मेघवाल के साथ लफड़ा हो गया था पन्द्रह हजार रूपये साहब ने आपको देने के लिए कहा था वह साहब आपसे ले लेगे मै इसके भाई से पैसे मांगता हूं। लेकिन यह रूपये तो महेन्द्र ने अभिमन्यु सिंह के एससी/एसटी के मामले मे साहब को देने के लिए कहा था मैने तो इनकी एक गांव के होने के कारण हैल्प करी है मेरी लोहावट थाने में इस मामले मे कोई पहले बात नही हुई थी मेरे पहले दारू के ठेके थे इसलिए पुलिस थाना लोहावट वाले मुझे जानते है। इस पर परिवादी के साथी श्री महेन्द्र राठी ने उक्त रणवीर सिंह की बात का खण्डन करते हुए कहा कि अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर बात होने पर श्री रणवीर जी ने मुझे इस दारू के ठेके पर बुलाया था मै व अभिमन्यु सिंह के दारू के ठेके पर आते ही इन्होने दारू के ठेके के अन्दर का गेट खोल दिया तो हम दोनो अन्दर चले गये। महेन्द्र ने बताया कि मैने रणवीर सिंह के दारू के ठेके मे कहा था कि अभिमन्यु सिंह का थाने मे मेघवाल का कोई मामला हो गया था जो कल थाना लोहावट मे जाकर आये थे थाना लोहावट मे थानेदार जी केशाराम से मामले मे राजीनामे की बात हुई थी जिसके लिए उनको पन्द्रह हजार रूपये देने है उन्होने यह पन्द्रह हजार रूपये आपको देने के लिए कहा था आप उनको दे देना तो इन्होने कहा कि थाने में पहूंच जायेगे तथा केशाराम थानेदार जी को मेरे सामने वाट्सअप कॉल करके कहा था कि आपके पन्द्रह नम्बर मेरे पास आ गये है यह रूपये अभिमन्यु सिंह के थाना लोहावट मे एससी/एसटी एक्ट के मामले मे राजीनामा करवाया था उसके बदले केशाराम थानेदार को देने के लिए रणवीर जी को दिये है। रणवीर व मेरे बीच मे कोई उधार का लेन देन नही है मेरे भाई व इनके बीच मे रूपये का लेन देन जरूर है। मेरा कोई लेन देन बाकी नही है। श्री रणवीर सिंह के मोबाईल फोन को चैक किया तो श्री रणवीर सिंह ने अपने मोबाईल फोन नं0 9828771070 से श्री केशाराम के मोबाईल फोन नं0 8947059057 पर समय 7.16 पीएम पर वाट्सअप कॉल किया हुआ है।

श्री रणवीर सिंह से परिवादी के साथी श्री महेन्द्र राठी द्वारा दी गई रिश्वती राशि 15000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री रणवीर सिंह ने बताया कि श्री महेन्द्र राठी द्वारा दिए गए रूपये मेरे पर्स मे रखे हुए है तथा पर्स मेरी पेंट की पीछे की जेब मे रखा हुआ है। इस स्वतंत्र गवाह श्री सुधांश वरेनिया से श्री रणवीर सिंह के बदन पर पहनी हुई पेट के पीछे की जेब की तलाशी लिवाई गई तो पेंट के पीछे की जेब मे एक पर्स मिला जिसमें कुछ नोट रखे हुए दिखाई दिए जिस पर उक्त नोटो मे से होटल फलौदी मे बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो उक्त नोटो में से दो-दो हजार रूपये 7 नोट व पांच पांच सौ रूपये के 02 नोट हूबहू वही नम्बरी नोट मिले। जिनको उक्त पर्स में रखे अन्य नोटो के साथ वापस रखवाया जाकर पर्स को स्वतंत्र गवाह श्री सुधांश रवेनिया के पास सुरक्षित रखवाया गया।

रिश्वत लेन देन स्थल दारू की दुकान के आस पास काफी लोगो की भीड़ इक्कठा हो चुकी थी ऐसी स्थिति में थाना फलोदी मे लिखापढ़ी करने का निर्णय लेते हुए आरोपी श्री रणवीर सिंह के दाहिने हाथ को कलाई के उपर से श्री आलोक कुमार हैड कानि0 10 एवं बांये हाथ को कलाई के उपर से श्री विक्रम सिंह कानि0 92 से पकड़वाया जाकर सरकारी वाहन मे बैठाया गया तथा स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ को सरकारी गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाना फलौदी के लिए रवाना होकर पुलिस थाना फलौदी के स्वागत कक्ष मे लिखापढ़ी आरंभ की गई।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर कर थाना परिसर मे से बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर

दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तैयार शुदा एक कांच के गिलास के घोल मे श्री रणवीर सिंह के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरनी ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री रणवीर सिंह के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे के बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री सुधांश रवेनिया के पास सुरक्षित रखवाए गए पर्स को निकलवाया जाकर उसमें रखी अन्य राशि के साथ रखी हुई रिश्वती राशि को निकलवाई जाकर पुनः फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटो को एक सफेद कागज मे सिल कर सील चिट मोहर किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त रिश्वती राशि के अलावा पर्स की तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो पर्स में 5291/- रूपये नगद व स्वयं का लाईसेन्स, एक व्यू स्मॉल फाईनेंस बैक का बिजनस डेबिट कार्ड, स्वयं का पेन कार्ड, यूको बैक का डेबिट कार्ड, स्वयं की वोटर आईडी, आधार कार्ड मिला है जो वापस श्री रणवीर सिंह की पेंट मे रखवाए गए।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमें थाना परिसर से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाकर उक्त गिलास को पुनः धुलवाकर उसमें बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स से एक कपड़े की चिंदी लेकर गिलास के घोल में बारी-बारी से डुबोकर पर्स जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई थी उस स्थान पर बारी-बारी से रगड़कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एस-1, एस-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा कपड़े की चिंदी को सुखाकर पर्स पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर पर्स एवं कपड़े की चिंदी को एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर कपड़े की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-एस अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

समय करीब 08.25 पीएम पर श्री नीरज गुरनानी पुलिस उप अधीक्षक मय श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0 69, श्री रमेश कुमार कानि0 406 एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68 मय श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण के साथ थाना फलौदी पर उपस्थित आए व बताया कि श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट ने मन् पुलिस उप अधीक्षक नीरज गुरनानी ने अपना एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो का परिचय देते हुए अपने आने का प्रयोजन बताते हुए तथा परिवादी श्री अभिमन्यु सिंह के विरूद्व एससी/एसटी के तहत प्राप्त शिकायत से संबंधित दस्तावेजात पेश करने हेतु कहा गया तो श्री केशाराम ने बताया कि मेरे पास किसी ने भी श्री अभिमन्यु सिंह के विरूद्व कोई एससी/एसटी का मामला दर्ज करने के लिए कोई शिकायत नही दी थी और ना ही रिकार्ड मे ऐसा कोई मामला दर्ज है। इस संबंध में पुलिस थाना लोहावट के परिवाद रजिस्टर व एफआईआर रजिस्टर को चैक किया जहां भी श्री अभिमन्यु सिंह के विरूद्व कोई मामला दर्ज होना नही पाया गया है। इसलिए श्री अभिमन्यु सिंह के विरूद्व कोई भी रिकार्ड पुलिस थाना लोहावट मे नही मिलने पर साथ मे नही लाया गया है। इस संबंध में आईन्दा अनुसंधान से

स्थिति स्पष्ट की जावेगी। श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ के समक्ष उनका पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री केशाराम पुत्र श्री जैनाराम, जाति जाट, उम्र 40 वर्ष निवासी पनल की बेरी तहसील व थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण होना बताया। श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस से परिवादी के साथी श्री महेन्द्र राठी से श्री रणवीर सिंह को दिलवाए गए रिश्वत के 15000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस ने बताया कि मै इनको शक्ल से जानता हूं इनका नाम नही जानता हूं यह कल मेरे पास आए थे तथा श्री महेन्द्र राठी की तरफ ईशारा कर बताया कि इसने कहा था कि मेरे गांव के अभिमन्यु सिंह के खिलाफ एससी/एसटी की शिकायत थाने पर आई है क्या इसको मै साथ लाया हूं इस पर मैने अभिमन्यु सिंह को लड़ाई झगड़ा नही करने के बारे मे समझाया था तथा आयन्दा लड़ाई झगड़ा नही करने की हिदायत दी थी तब महेन्द्र राठी व अभिमन्यु सिंह ने कहा था कि हमारी लड़ाई झगड़ा करने वाले से राजीनामा हो गया है आयन्दा लड़ाई झगड़ा नही करेगे इस पर मैने इनको थाने से आयन्दा लड़ाई नही करने की हिदायत देकर छोड़ दिया था मैने कोई भी रिश्वत की मांग नही करी है। इस पर परिवादी के साथी श्री महेन्द्र राठी ने श्री केशाराम की बात का खण्डन करते हुए बताया कि कल जब मै श्री केशाराम जी थानेदार साहब से मिला था तो इन्होने पहले तो अभिमन्यु सिंह को बंद करने के लिए कहा तो मैने रवि नाम के व्यक्ति से श्री केशाराम से अपने मोबाईल से वार्ता करवाई थी तब इन्होने लड़ाई झगड़ा नही करने का कहा था तब मैने इनको खर्चा पानी की बात कही तब इन्होने मुझसे दस पन्द्रह हजार रूपये कर देने के लिए कहा था तब मैने कहा था कि आपको यहा दे जाउंगा तब इन्होने कहा था की तुम्हारे गांव के श्री रणवीर सिंह दारू के सैल्समैने कां दं दंना जिस पर इनके कहेनुसार आज मैने इनकी मांग के अनुसरण में रिश्वत के 15000/- रूपये श्री रणवीर सिंह को दिए थे जो रणवीर सिंह ने अपने हाथ मे लेकर अपने पर्स मे रख लिए थे। श्री अभिमन्यु सिंह ने भी श्री महेन्द्र राठी की बात की ताईद की है। श्री केशाराम से मन् पुलिस उप अधीक्षक ने भी श्री अभिमन्यु सिंह के विरूद्व एससी/एसटी के तहत दी गई रिपोर्ट के बारे मे पूछा तो मौके पर उपस्थित श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट ने बताया कि अभिमन्यु सिंह के विरूद्व थाने मे कोई रिपोर्ट दर्ज नही हुई है मेरे को मौखिक रूप से इन्होने ही आकर लड़ाई झगड़े मे राजीनामे की बात बतायी थी तो मैने थाना क्षेत्र मे शांति बनी रहे इसलिए श्री अभिमन्यु सिंह को लड़ाई झगड़ा नही॰ करने बाबत समझाईश की थी इनसे कोई रिश्वत नही मांगी थी।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरो को सरसरी तोर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिनकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडी तैयार की गई।

श्री केशाराम व श्री रणवीर सिंह के मोबाईल फोन को चैक किया गया तो श्रीरणवीर सिंह द्वारा अपने मोबाईल के वाट्सअप से श्री केशाराम के मोबाईल पर समय 7.16 पीएम पर वार्ता की गई है दोनो मोबाईल के फोटो खींच कर प्रिन्ट निकलवाकर गवाहान के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किए गए।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री केशाराम पुत्र श्री जैनाराम, जाति जाट, उम्र 40 वर्ष निवासी पनल की बेरी तहसील व थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण ने परिवादी श्री अभिमन्यु सिंह के विरूद्व पुलिस थाना लोहावट में प्रस्तुत एससी/एसटी की शिकायत को रफा दफा करने की ऐवज में 15000/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए रिश्वती राशि श्री रणवीर सिंह सैल्समैन को देने हेतु कहा जिस पर परिवादी के साथी श्री महेन्द्र राठी ने श्री रणवीर सिंह को श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस की मांग के अनुसरण मे रिश्वत के 15000/- रूपये श्री रणवीर सिंह को दिए। श्री रणवीर सिंह द्वारा रिश्वती के 15000/- रूपये अपने हाथ मे लेकर अपने पर्स मे रख अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की पीछे की जेब में रख लिए। इस प्रकार श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण ने प्राईवेट व्यक्ति श्री रणवीर सिंह से

मिली भगत कर 15000/- रूपये रिश्वत के परिवादी के साथी श्री महेन्द्र राठी से प्राप्त की है। जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी भा0दं0सं0 का पाया जाने पर आरोपीगण श्री केशाराम उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण व श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, जाति राजपूत, उम्र 35 वर्ष निवासी पीलवा, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर को पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपीगण (1) श्री केशाराम पुत्र श्री जैनाराम, जाति जाट, उम्र 40 वर्ष निवासी पनल की बेरी तहसील व थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण एवं (2) श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, जाति राजपूत, उम्र 35 वर्ष निवासी पीलवा, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर। के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(संजय कुमार)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संजय कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री केशाराम, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण एवं 2. श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी पीलवा, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 232/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2043-49 दिनांक 12.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

12.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।